भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 149
सोमवार, 29 नवम्बर, 2021/8 अग्रहायण, 1943 (शक)

रोजगार संबंधी योजनाएं

149. श्री ओम पवन राजेनिंबालकरः
श्री कृपाल बालाजी तुमानेः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या पिछले छह महीनों के दौरान देश में रोजगार के अवसर कम हुए हैं और बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान अपनी नौकरी गंवाने वाले लोगों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने नैमित्तिक/संविदात्मक कर्मचारियों की छंटनी की गई;
(ङ) उक्त कामगारों को उनकी नौकरी गंवाने के लिए मुआवजा देने के लिए किए गए कल्याणकारी उपायों का ब्यौरा क्या है और उन कामगारों की संख्या कितनी है जिन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया गया है; और
(च) क्या सरकार ने उक्त श्रमिकों/श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना लागू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 और 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः 2017-18 में 6.0% से घटकर 2019-20 में 4.8% रह गई।

सरकार आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

प्रधान मंत्री रेहड़ी-पटरी वालों की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 01 जून, 2020 को प्रारंभ की गई थी ताकि कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को शहरी क्षेत्रों में पटरी लगाने हेतु अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए, कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान किया जा सके।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है, जो कि 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु वेतन का कुल 24% है। इससे कोविड पश्च अवधि के दौरान ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार की सुरक्षा करने में सहायता मिली है।

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था, ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत, बेरोजगारी लाभ को औसत वेतन के 25% से बढ़ा कर 50% कर दिया गया है,जो कि 90 दिनों तक देय है। इसके साथ-साथ लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट है।

स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

इसके अलावा, आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों तथा उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक एवं धारणीय रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

(घ) से (च): अप्रैल से जून, 2021 की अवधि के लिए तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) के पहले दौर के परिणाम के अनुसार, लॉकडाउन अवधि (25 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020) के दौरान कर्मचारियों की संख्या पर क्षेत्रवार प्रभाव अनुबंध पर दिया गया है।

सरकार भवन और अन्य निर्माण कामगार (बीओसीडब्ल्यू) (आरई एंड सीएस) अधिनियम, 1996 [बीओसीडब्ल्यू (आरई एंड सीएस) अधिनियम, 1996], बीओसीडब्ल्यू कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और इससे संबंधित नियमों का प्रशासन देखती है, लेकिन इन अधिनियमों के प्रावधानों और इससे संबंधित नियमों के कार्यान्वयन का दायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों के माध्यम से उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर है। बीओसीडब्ल्यू (आरई एंड सीएस) अधिनियम, 1996 की धारा 22 के अनुसार, राज्य/केंद्र शासित सरकारों को राज्य / केंद्र शासित प्रदेश बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रावधान करने हेतु सशक्त बनाया गया है।

इसके अलावा, कोविड **-19** के प्रकोप के कारण एक चुनौतीपूर्ण स्थिति की पृष्ठभूमि में, जिसने भवन और अन्य निर्माण कामगारों (बीओसीडब्ल्यू) के बीच वित्तीय संकटों को जन्म दिया, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से निर्माण कामगारों के बैंक खातों में पर्याप्त निधियों के हस्तांतरण के लिए बीओसीडब्ल्यू (आरई एंड सीएस) अधिनियम, 1996 की धारा 22 (1) (एच) के तहत एक योजना तैयार करने के लिए बीओसीडब्ल्यू (आरई एंड सीएस) अधिनियम की धारा 60 के तहत परामर्शी जारी की गई थी।

परामर्शी के जवाब में, कोविड -19 की पहली लहर के दौरान लॉकडाउन के समय और उसके बाद राज्य / केंद्र शासित प्रदेश बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों ने संचयी रूप से डीबीटी के माध्यम से 1.83 करोड़ बीओसी कामगारों के बैंक खातों में 5618 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लगभग 30 लाख कामगारों को उपकर कोष से खाद्य राहत पैकेज भी प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, कोविड -19 की दूसरी लहर के दौरान डीबीटी के माध्यम से 1.23 करोड़ बीओसी कामगारों के बैंक खातों में 1795 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज **3.0** के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-**19** महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु **1** अक्तूबर, **2020** से प्रारंभ की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। 20.11.2021 को 1.15 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 39.43 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 29.11.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 149 के भाग (घ) से (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

लॉकडाउन अवधि (25 मार्च 2020 से 30 जून 2020) के दौरान कामगारों की संख्या पर क्षेत्रवार प्रभाव

क्र.सं.	**क्षेत्र**	**कर्मचारियों की संख्या (लाख में)**			
		लॉकडाउन से पहले (25 मार्च 2020 से पहले)		**1 जुलाई 2020 को)**	
		पु.	**म.**	**पु.**	**म.**
1	उत्पादन	98.7	26.7	87.9	23.3
2	निर्माण	5.8	1.8	5.1	1.5
3	व्यापार	16.1	4.5	14.8	4
4	परिवहन	11.3	1.9	11.1	1.9
5	शिक्षा	38.2	29.5	36.8	28.1
6	स्वास्थ्य	15	10.6	14.8	10.1
7	आवास और रेस्टोरेंट	7	1.9	6.2	1.7
8	आईटी / बीपीओ	13.6	6.3	12.8	6.1
9	वित्तीय सेवाएं	11.5	5.9	11.3	5.7
योग		**217.8**	**90**	**201.5**	**83.3**

टिप्पणी: पु.-पुरूष; म.-महिला। कुल' पंक्ति की संख्या सर्वेक्षण के दौरान पाए गए 66 प्रतिष्ठानों को भी ध्यान में रखती है जो नौ चयनित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों से संबंधित हैं।